मुख्यालय

उत्तराखण्ड पर्यावरण संरक्षण एवं प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड

29/20, नेमी रोड, डालनवाला, देहरादून (उत्तराखण्ड)
फोन: 0135-2658086, फैक्स: 0135-2718092

Ref.UEPPCB/HO/NOC-3021/2015/ Dehradun, April, 2015

पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु लोक सुनवाई के लिये सूचना

श्री ठाकुर सिंह गड़िया द्वारा ग्राम–नरगरा, तहसील–कपकोट, जिला–बागेश्वर में सोप स्टोन की माईनिंग हेतु पर्यावरण स्वीकृति हेतु लोक सुनवाई का प्रस्ताव उत्तराखण्ड पर्यावरण संरक्षण एवं प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड देहरादून के समक्ष प्रस्तुत किया गया है। प्रस्ताव के लिये राज्य स्तरीय पर्यावरण प्रभाव निर्धारण प्राधिकरण **(SEIAA)** उत्तराखण्ड के द्वारा **Terms of Reference** निर्धारित किये गये हैं, जिनके अन्तर्गत प्रस्तावक के द्वारा पर्यावरण प्रभाव मूल्यांकन रिपोर्ट एवं पर्यावरण प्रबन्धन योजना आदि तैयार कर प्रस्तुत की गयी है। वन एवं पर्यावरण मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जारी ई.आई.ए. अधिसूचना 14.09.2006 के अनुसार उक्त प्रकार की परियोजनाओं के क्रियान्वयन से पूर्व लोक सुनवाई का प्राविधान है, जिस हेतु 30 दिनों का नोटिस समाचार पत्रों के माध्यम से जन साधारण के संज्ञानार्थ दिया जाना आवश्यक है। लोक सुनवाई हेतु "पैनल" की संरचना उक्त अधिसूचना के अनुरूप निम्नवत् है :–

1. जिलाधिकारी, जनपद–बागेश्वर या उनके द्वारा नामित प्रतिनिधि जो अपर जिलाधिकारी स्तर से कम पद का न हो, लोक सुनवाई के अध्यक्ष।
2. उत्तराखण्ड पर्यावरण संरक्षण एवं प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के प्रतिनिधि।

परियोजना से सम्बन्धित जमा समस्त अभिलेख क्षेत्रीय कार्यालय, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय–लखनऊ; मुख्यालय, उत्तराखण्ड पर्यावरण संरक्षण एवं प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड देहरादून; क्षेत्रीय कार्यालय, उत्तराखण्ड पर्यावरण संरक्षण एवं प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, आवास–विकास कालोनी, हल्द्वानी (नैनीताल); कार्यालय जिलाधिकारी, बागेश्वर; कार्यालय जिला पंचायत, बागेश्वर; जिला उद्योग केन्द्र, बागेश्वर एवं नगर पंचायत, कपकोट में उपलब्ध हैं, जिनका इच्छुक संस्था/व्यक्ति द्वारा अवलोकन किया जा सकता है। पर्यावरण प्रभाव मूल्यांकन रिपोर्ट के सारांश की प्रति राज्य बोर्ड की वेबसाईट www.ueppcb.uk.gov.in पर भी उपलब्ध है। सर्वसाधारण का सूचित किया जाता है, कि श्री ठाकुर सिंह गड़िया द्वारा ग्राम–नरगरा, तहसील–कपकोट, जिला–बागेश्वर में सोप स्टोन की माईनिंग हेतु पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु लोक सुनवाई **दिनांक 28.5.2015** को **प्रातः 11:00 बजे से प्राथमिक विधालय, किटौरा, ग्राम–नरगरा, तहसील–कपकोट, जिला–बागेश्वर** में निर्धारित की गयी है। अतः जनसामान्य को सूचित किया जाता है, कि उक्त प्रस्ताव के सम्बन्ध में अपने सुझाव मौखिक, लिखित, विचार, टीका–टिप्पणियां और आक्षेप इस कार्यालय में विज्ञापन प्रकाशन की तिथि से 30 दिन के अन्तर्गत प्रेषित् कर सकते हैं अथवा लोक सुनवाई में उपस्थित होकर प्रस्तुत कर सकते है।

सदस्य सचिव।

हिन्दुस्तान टाईम्स 26.04.2015